



पत्रांक सं०:- 525 / नि०ख० बुन्देलखण्ड-02/ AC-1/ 104 दिनांक:- 04/06/25

ई-निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा परिषद की ओर से उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत अनुभवी ठेकेदारों से निम्नलिखित विवरण के अनुसार निर्माण कार्य हेतु ई-निविदायें आमंत्रित की जाती है जो उपस्थित निविदादाताओं/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड बुन्देलखण्ड-02, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, बाँदा में निम्न विवरण के अनुसार खोली जायेगी। कार्य की मात्राएँ बी0ओ0क्यू0 के अनुसार होगी।

क्र० सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु० लाख में)	धरोहर धनराशि (रु० लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु० में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1	प्रोजेक्ट अलंकार योजनान्तर्गत जनपद महोबा के पं.दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कालेज कनकुआ में नवीन बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कार्य।	105.75	2.12	4500.00 + 18% GST	03 माह
2	प्रोजेक्ट अलंकार योजनान्तर्गत जनपद महोबा के राजकीय हाईस्कूल पिपरामाफ एवं राजकीय हाईस्कूल महुआबांध में नवीन बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कार्य।	107.50	2.15	4500.00 + 18% GST	03 माह
3	प्रोजेक्ट अलंकार योजनान्तर्गत जनपद महोबा के राजकीय हाईस्कूल रिवाई सुनैचा, राजकीय हाईस्कूल कुलकुआ एवं पं. दीनदयाल उपाध्याय राजकीय इंटर कालेज चिचारा में नवीन बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कार्य।	102.21	2.05	4500.00 + 18% GST	03 माह
4	प्रोजेक्ट अलंकार योजनान्तर्गत जनपद महोबा के राजकीय इंटर कालेज जैतपुर में नवीन बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कार्य।	105.74	2.12	4500.00 + 18% GST	03 माह
5	प्रोजेक्ट अलंकार योजनान्तर्गत जनपद महोबा के राजकीय हाईस्कूल लमौरा, राजकीय इन्द्रहाटा, एवं पं. दीन दयाल उपाध्याय राजकीय इंटर कालेज अजनर में नवीन बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कार्य।	114.90	2.30	4500.00 + 18% GST	03 माह
6	प्रोजेक्ट अलंकार योजनान्तर्गत जनपद महोबा के राजकीय हाईस्कूल सुरहा, राजकीय हाईस्कूल सिंघनपुर बघारी, राजकीय हाईस्कूल शिवहार, राजकीय हाईस्कूल पुनियां एवं पं. दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कालेज रिवाई में नवीन बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कार्य।	100.17	2.01	4500.00 + 18% GST	03 माह
7	प्रोजेक्ट अलंकार योजनान्तर्गत जनपद महोबा के राजकीय हाईस्कूल बिजरारी, राजकीय हाईस्कूल नैपुरा एवं राजकीय हाईस्कूल सिलालपुरा में नवीन बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कार्य।	94.46	1.89	3000.00 + 18% GST	03 माह
8	प्रोजेक्ट अलंकार योजनान्तर्गत जनपद हमीरपुर के राजकीय हाईस्कूल सूपा, राजकीय हाईस्कूल मौहारी राजकीय हाईस्कूल मझगावां खुर्द, राजकीय हाईस्कूल दुलारा एवं राजकीय हाईस्कूल रावतपुरा में नवीन बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कार्य।	85.51	1.71	3000.00 + 18% GST	03 माह
9	प्रोजेक्ट अलंकार योजनान्तर्गत जनपद हमीरपुर के राजकीय हाईस्कूल टेढ़ा, राजकीय हाईस्कूल पारा रैपड़ा, राजकीय हाईस्कूल कुछेछा, राजकीय हाईस्कूल पाटनपुर एवं पं. दीन दयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कालेज टेढ़ा में नवीन बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कार्य।	119.68	2.40	3000.00 + 18% GST	03 माह
10	प्रोजेक्ट अलंकार योजनान्तर्गत जनपद हमीरपुर के राजकीय हाईस्कूल रीवन, राजकीय हाईस्कूल कुनहटा, राजकीय बालिका इंटर कालेज मौदहा एवं पं. दीन दयाल उपाध्याय राजकीय इंटर कालेज इमिलिया में नवीन बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कार्य।	108.47	2.17	4500.00 + 18% GST	03 माह
11	प्रोजेक्ट अलंकार योजनान्तर्गत जनपद हमीरपुर के राजकीय हाईस्कूल बिलौटा, राजकीय हाईस्कूल बेरी, राजकीय हाईस्कूल बौखर, राजकीय हाईस्कूल चण्डौत, राजकीय हाईस्कूल भेड़ीडाडा एवं पं. दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कालेज कुरारा में नवीन बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कार्य।	120.10	2.41	4500.00 + 18% GST	03 माह
12	प्रोजेक्ट अलंकार योजनान्तर्गत जनपद हमीरपुर के राजकीय हाईस्कूल बिलगांव, राजकीय हाईस्कूल बजेहटा एवं पं. दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कालेज कैथी में नवीन बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कार्य।	111.57	2.24	4500.00 + 18% GST	03 माह

(Handwritten signatures and initials)

13	प्रोजेक्ट अलंकार योजनान्तर्गत जनपद बौदा के राजकीय हाईस्कूल अमलीकोर, राजकीय इंटर कालेज पैलानी, राजकीय हाईस्कूल सबादा, राजकीय हाईस्कूल गुगौली, राजकीय इंटर कालेज बिलगांव एवं राजकीय हाईस्कूल बडोखर बुर्जुग में नवीन बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कार्य।	142.45	2.85	4500.00 + 18% GST	03 माह
14	प्रोजेक्ट अलंकार योजनान्तर्गत जनपद बौदा के राजकीय इंटर कालेज मर्का, राजकीय हाईस्कूल समगरा, राजकीय हाईस्कूल चरका, राजकीय हाईस्कूल पखरौली एवं राजकीय बालिका इंटर कालेज बबेरू में नवीन बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कार्य।	176.82	3.54	4500.00 + 18% GST	03 माह
15	प्रोजेक्ट अलंकार योजनान्तर्गत जनपद बौदा के राजकीय हाईस्कूल बल्लान, राजकीय हाईस्कूल अहार, राजकीय हाईस्कूल पौहार एवं राजकीय हाईस्कूल रानीपुर में नवीन बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कार्य।	92.69	1.85	3000.00 + 18% GST	03 माह
16	प्रोजेक्ट अलंकार योजनान्तर्गत जनपद बौदा के राजकीय हाईस्कूल खैराड़ा, राजकीय हाईस्कूल चहितारा, राजकीय हाईस्कूल करहिया एवं राजकीय बालिका इंटर कालेज बिसण्डा में नवीन बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कार्य।	111.72	2.24	4500.00 + 18% GST	03 माह
17	प्रोजेक्ट अलंकार योजनान्तर्गत जनपद बौदा के राजकीय बालिका इंटर कालेज करतल, राजकीय हाईस्कूल जबरापुर, राजकीय हाईस्कूल बिरौना, राजकीय हाईस्कूल गुमाई एवं राजकीय हाईस्कूल जखनी में नवीन बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कार्य।	61.35	1.23	3000.00 + 18% GST	03 माह
18	प्रोजेक्ट अलंकार योजनान्तर्गत जनपद बौदा पं. दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कालेज पचनेही, राजकीय हाईस्कूल हथौड़ा एवं राजकीय हाईस्कूल महुई में नवीन बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कार्य।	51.85	1.04	3000.00 + 18% GST	03 माह
19	प्रोजेक्ट अलंकार योजनान्तर्गत जनपद बौदा के राजकीय हाईस्कूल भदेहदु, राजकीय हाईस्कूल सिमौनी एवं राजकीय हाईस्कूल फतेहगंज में नवीन बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कार्य।	57.45	1.15	3000.00 + 18% GST	03 माह
20	प्रोजेक्ट अलंकार योजनान्तर्गत जनपद चित्रकूट के राजकीय हाईस्कूल मुर्का राजकीय हाईस्कूल अशोह एवं राजकीय हाईस्कूल पं. दीन दयाल उपाध्याय मॉडल इंटर कालेज हर्दीकला में नवीन बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कार्य।	73.15	1.46	3000.00 + 18% GST	03 माह

निविदा क्रमांक संख्या 1 से 12 तक का विवरण

निविदा से सम्बन्धित विवरण	तिथि व समय
Document Download Start	06.06.2025 (02:00 PM)
Document Download End	16.06.2025 (02:00 PM)
Bid Submission Start	06.06.2025 (02:00 PM)
Bid Submission Closing	16.06.2025 (02:00 PM)
Technical Bid Opening	16.06.2025 (03:00 PM)
Financial Bid Opening	To be notified later

निविदा क्रमांक संख्या 13 से 20 तक का विवरण

निविदा से सम्बन्धित विवरण	तिथि व समय
Document Download Start	06.06.2025 (02:00 PM)
Document Download End	24.06.2025 (02:00 PM)
Bid Submission Start	06.06.2025 (02:00 PM)
Bid Submission Closing	24.06.2025 (02:00 PM)
Technical Bid Opening	24.06.2025 (03:00 PM)
Financial Bid Opening	To be notified later

ई-निविदा हेतु नियम व शर्तें

- 1- निविदा प्रपत्र परिषद की वेबसाइट www.upavp.in के निविदा लिंक पर तथा उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कॉरपोरेशन की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर देखे जा सकते हैं। इच्छुक ठेकेदार नियमित रूप से उक्त वेबसाइट देखते रहे क्योंकि निविदाओं के सम्बन्ध में कोई बदलाव अथवा सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जायेगी। डिजिटल सिग्नेचर धारक ठेकेदारों/फर्मों द्वारा ही ऑनलाइन निविदा डाली जा सकती है।
- 2- निविदा प्रपत्र/धरोहर धनराशि के मूल्य से सम्बन्धित आर0टी0जी0एस0 का यू0टी0आर0 के नम्बर की छायाप्रति स्कैन कर निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड किया जाना होगा।
- 3- निविदा से सम्बन्धित प्रपत्र का मूल्य धरोहर धनराशि आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से अलग-अलग निम्न विवरण के अनुसार निविदा खुलने की तिथि से एक दिन पूर्व तक कार्यालय इकाई के खाते में अनिवार्य रूप से जमा किया जाना होगा। उक्त अवधि के उपरान्त

[Handwritten signature]

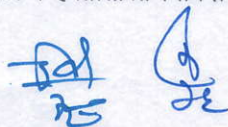
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

जमा की गयी धरोहर धनराशि को अमान्य माना जायेगा। वॉल्टिध धनराशि खाते में जमा होने की पुष्टि के उपरान्त ही निविदा पर विचार किया जायेगा। जनरल सिक्वोरिटी जमा होने पर अपेक्षित सिक्वोरिटी से कम होने पर अंतर धनराशि धरोहर धनराशि के रूप में उक्त बैंक खाते में उक्त नियत तिथि व समय तक जमा करना अनिवार्य होगा खाते का विवरण निम्नवत् है—

Name of Holder : EX. ENGG., NIRMAN KHAND, BUNDELKHAND-02, BANDA
Account No. : 380401010034555
IFSC Code : UBIN0538043
Name of Bank / Branch : Union Bank of India, Pili Kothi, Chhawni Banda, U.P.

- 4- निविदादाता/फर्म की निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुरूप रायल्टी की रसीद/साक्ष्य प्रस्तुत करने पर ही बिल का भुगतान अनुमन्य होगा अन्यथा नियमानुसार बिल से कटौती की जायेगी।
- 5- उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियम नियमावली वर्ष 2009 के विनियम 24(2) के अन्तर्गत प्रत्येक संविदा का एकल पंजीकरण करना अनिवार्य है। अतः निविदा स्वीकृति एवं अनुबन्ध गठन के पश्चात् एक सप्ताह के अन्दर पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही देयक का भुगतान किया जायेगा तथा देयक से नियमानुसार लेबर सेस की कटौती की जायेगी।
- 6- निविदा की बी०ओ०क्यू० में अंकित कार्यों की मात्रा में परिवर्तन हो सकता है, जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। निविदा डालने से पूर्व ठेकेदारों/फर्मों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्थल निरीक्षण कर ले क्योंकि बाद में स्थल से सम्बन्धित कोई क्लेम मान्य न होगा।
- 7- निविदा की स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध हेतु शासन द्वारा निर्धारित मानक व निविदा की लागत के अनुसार आवश्यक धनराशि के स्टैम्प अनुबन्ध हेतु प्रस्तुत करने होंगे।
- 8- निविदादाता/फर्म को निविदा स्वीकृति की दशा में कार्य की कुल लागत की 10 प्रतिशत जमानत धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एफ०डी०आर०/सी०डी०आर० के रूप में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, बुन्देलखण्ड-2, उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद, बांदा के पक्ष में बन्धक बनाकर जमा करनी होगी।
- 9- अनुबन्ध गठन की प्रक्रिया या उसके उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित ठेकेदार/व्यक्ति सक्रिय रूप में माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा एवं दण्ड के रूप में उसकी धरोहर/जमानत धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जाएगा।
- 10- निविदादाता/फर्म द्वारा दिये गए दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाए जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जाएगा एवं निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबन्ध गठन के बाद होती है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जाएगा।
- 11- निविदा प्रपत्र के साथ ही टी-4, टी-5, अर्थात् वैध चरित्र प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।
- 12- निविदादाता/फर्म को वाणिज्य कर विभाग में जी०एस०टी० के अन्तर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है फर्म को नियमानुसार जी०एस०टी० अलग से भुगतान किया जाएगा।
- 13- ठेकेदार/फर्म के देयक से नियमानुसार आयकर, लेबर सेस एवं अन्य कर जो सरकार द्वारा समय-समय पर लागू किये जाएंगे की कटौती की जाएगी।
- 14- यदि किसी कारणवश निविदा सूचना में उल्लिखित तिथि को अवकाश हो जाता है तो निविदा अगले कार्य दिवस को खोली जाएगी।
- 15- समस्त कार्य लोक निर्माण विभाग/परिषद की नवीनतम विशिष्टियों के अनुसार कराए जाएंगे।
- 16- जी०पी०डब्लू० फार्म-9 अनुबन्ध का हिस्सा होगा।
- 17- कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। कार्य की मासिक प्रगति निर्धारित मासिक प्रगति चार्ट के अनुसार होनी चाहिए। प्रगति का आकलन प्रत्येक माह के अन्त में किया जायेगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार को अगले माह के अन्त तक निर्धारित क्यूमुलेटिव प्रगति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अन्यथा अनुबन्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- 18- निविदा की दर कम या अधिक (Below or Above) अंकित न होने पर कम (Below) माना जायेगा।
- 19- सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदायें बिना कारण बतायें किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसके सम्बन्ध में कोई भी क्लेम मान्य नहीं होगा।
- 20- कार्य के अन्तिम बीजक का भुगतान कार्य सम्बन्धित विभाग को गुणवत्तापूर्वक हस्तगत किये जाने के उपरान्त ही किया जायेगा।
- 21- निविदा की विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र बाँदा होगा।
- 22- बी०ओ०क्यू० की दरों में जी०एस०टी० को छोड़कर अन्य समस्त कर सम्मिलित है, जी०एस०टी० नियमानुसार अतिरिक्त देय होगी।
- 23- शासनादेश संख्या 622/23-12-2012-2/ऑडिट/08 टी.सी.-2/दिनांक 08.06.2012 के अनुसार ठेकेदार द्वारा निविदा में दी गयी बी०ओ०क्यू० की दरों से 10 प्रतिशत तक कम दरें प्राप्त होने पर 0.50 प्रतिशत प्रत्येक एक प्रतिशत कम दर हेतु अतिरिक्त जमानत धनराशि जमा करनी होगी तथा 10 प्रतिशत से अधिक कम दरें प्राप्त होने पर एक प्रतिशत प्रत्येक 01 प्रतिशत कम दर हेतु अतिरिक्त जमानत धनराशि जमा करने पर ही अनुबन्ध का गठन किया जाएगा।
- 24- निविदादाता द्वारा कार्यस्थल पर निर्माण कार्य के दौरान भवन में किसी भी प्रकार की क्षति का दायित्व से सम्बन्धित शपथ पत्र रु० 100 नॉन जुडीशियल स्टाम्प पेपर एवं भवन के आस पास निर्मित इमारतों/भवनों की सुरक्षा सम्बन्धी शपथ पत्र रु० 100 नॉन जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर देना अनिवार्य होगा।
- 25- निविदा की बी०ओ०क्यू० में अंकित कार्यों की मात्रा में परिवर्तन हो सकता है जिसके लिये ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य न होगा। निविदा डालने से पूर्व ठेकेदारों/फर्मों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्थल निरीक्षण कर लें क्योंकि बाद में स्थल से सम्बन्धित कोई क्लेम मान्य नहीं होगा तथा कार्यस्थल में परिवर्तन होने पर उपरोक्तानुसार निविदादाता को परिवर्तित कार्यस्थल मान्य होगा।
- 26- किसी प्रकार के सर्वर आदि के आकस्मिक रूप से विलंबित होने के कारण बिड अपलोड करना अथवा परिषद खाते में धनराशि विलम्ब से प्राप्त होने की स्थिति में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद उत्तरदायी नहीं होगा।
- 27- उ०प्र० शासन/जिला प्रशासन द्वारा निर्माण कार्य से सम्बन्धित कोविड - 19 के अंतर्गत दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।
- 28- निविदा की वैधता निविदा खुलने की तिथि से कम से कम 3 माह की होगी, जिसके लिये निर्धारित निविदा के साथ रु० 100.00 का नॉन जुडीशियल स्टाम्प पेपर रु० 1.00 का रेवेन्यू स्टॉम्प हस्ताक्षरित निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।





- 29- निविदादाता/फर्म के सभी देयकों से कार्य की लागत पर आयकर, लेबर सेस जी0एस0टी0(टी0डी0एस0) रॉयल्टी तथा अन्य कर जो सरकार द्वारा लागू किया जाता है, की कटौती नियमानुसार की जाएगी।
- 30- शासनादेश के अनुसार डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि कार्य पूर्ण एवं हस्तान्तरण होने के पश्चात् तीन वर्ष होगी तथा यह धनराशि कुल निर्माण लागत का 01 प्रतिशत धनराशि कैश/एफ0डी0आर0 के रूप में रोकी जायेगी एवं उक्त धनराशि डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि तीन वर्ष पूर्ण होना के पश्चात् ही अवमुक्त की जाएगी।
- 31- शासन के निर्देशों के अनुसार निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री यथा मिट्टी, सैंड, स्टोन ग्रेट/बैलास्ट इत्यादि पर रॉयल्टी भुगतान की रसीद/साक्ष्य प्रस्तुत करने पर एव सत्यापन उपरान्त ही बिल का भुगतान अनुमन्य होगा अन्यथा नियमानुसार बिल से कटौती की जायेगी। शासनादेश संख्या-3385-2015-292/2015 दिनांक 15/10/2015 के अनुपालन में यदि ठेकेदार/फर्म नियमानुसार रॉयल्टी प्रपत्र जमा नहीं करती है तो निर्धारित रॉयल्टी की धनराशि के अतिरिक्त पांच गुना धनराशि फर्म के देयक से वसूल की जायेगी।
- 32- वर्तमान में कार्य कर रहे जिन ठेकेदारों के कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं है, उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 33- परियोजना पर शासन से धनराशि समय से उपलब्ध न होने के कारण यदि कार्य के भुगतान में विलम्ब होता है तो इसके लिए ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- 34- निर्माण कार्य हेतु मृदुजल की व्यवस्था निविदादाता को स्वयं करनी होगी।
- 35- इच्छुक निविदादाताओं को कार्यस्थलों की जी0पी0एस0 फोटो कार्यस्थल पर स्वयं उपस्थित होकर (निविदादाता को उक्त फोटो में अनिवार्य रूप से होना आवश्यक है।) अपलोड करना होगा।
- 36- कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान वर्षा या अन्य दैवी आपदा के कारण किसी प्रकार की हुई क्षति हेतु परिषद द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा तथा ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- 37- ठेकेदार/फर्म की लापरवाही के कारण कार्यस्थल पर हुई क्षति या दुर्घटना हेतु ठेकेदार/फर्म स्वयं की जिम्मेदारी होगी परिषद द्वारा कोई प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी।
- 38- वायु प्रदूषण एवं स्मॉग की रोकथाम हेतु आवश्यक कार्यवाही सम्बन्धित निविदादाता द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड NGI/TIM की निर्धारित गाईड लाइन के अनुसार किया जाना होगा।
- 39- सम्बन्धित विभाग को कार्य हस्तगन कराने की जिम्मेदारी फर्म की होगी जिसके उपरान्त ही अंतिम भुगतान किया जाएगा एवं सिविलीटी की धनराशि प्रोजेक्ट कम्प्लीशन रिपोर्ट निर्गत होने के उपरान्त ही नियमानुसार अवमुक्त की जायेगी।
- 40- निर्माण कार्य में विलम्ब एवं उसकी गुणवत्ता में यदि कोई कमी/प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी फर्म/ठेकेदार की होगी।
- 41- कार्य की प्राथमिकता के अनुसार उ0प्र0 शासन से समय-समय पर धन अवमुक्त होने के अनुसार भुगतान की कार्यवाही की जायेगी फर्म/ठेकेदार द्वारा प्राथमिकता से भिन्न किये गए कार्य का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- 42- सशर्त अथवा प्रतिबंधित निविदा मान्य नहीं होगी।

भवदीय

(वीरेन्द्र कुमार गौड़)
अधिशायी अभियन्ता

पत्रांक : S25 / उपरोक्तानुसार / 04 /

दिनांक : 04/08/25

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निदेशक, ग्लोबल कन्सल्टेशन एण्ड कन्सलटेन्सी सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, बुन्देलखण्ड वृत्त झांसी।
- 3- सहायक अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, निर्माण खण्ड-बुन्देलखण्ड-02 बाँदा।
- 4- प्रशासनिक अधिकारी/कैशियर, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, निर्माण खण्ड- बुन्देलखण्ड 02 बाँदा।
- 5- इन्चार्ज कम्प्यूटर सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को परिषद वेब-साइट पर प्रचारित प्रसारित करने हेतु।
- 6- नोटिस बोर्ड।

अधिशायी अभियन्ता